

(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY)  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
(DEVELOPMENT DEPARTMENT)  
DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING  
49, SHAM NATH MARG, DELHI - 110054.

Dated: 29/1/2020

NOTIFICATION

No. 8(9)/99/DAM/MR/29/19. - In exercise of the powers conferred by section 116 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998, Delhi (Act No. 07 of 1999), the Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to amend the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) General Rule, 2000, namely :-

1. **Short title and Commencement.** - (1) These rules may be called, the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) General (Amendment) Rule, 2020.  
(2) It shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
2. **Amendment of rule 6.** - In the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) General Rule, 2000, in sub rule (1) of rule 6, for the words "one thousand rupees" occurring after the words "allowance of" and before the words "for attending" the words "two thousand rupees" shall be substituted.

BY ORDER OF  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI



(SANJAY GOEL)  
DIRECTOR (AM)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

No. 8 (9)/99/DAM/MR/2919639

Dated: 29.1.2020

Copy to:-

1. The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi
2. The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad.
3. The Principal Secretary to Lt. Governor, Delhi
4. The Principal Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi.
6. The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi.
7. The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi.
8. The Chairman/Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary Delhi Agricultural Marketing Board.
9. The Dy. Secretary (GAD), General Administration Deptt. Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Extra Ordinary Gazette, Part-IV and copies of the same may be arranged for this office (two copies).
10. Agricultural Produce Marketing Committee, MNI, Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur, Shahdara (Fruit & Vegetable Market Gazipur), Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur and Flower Marketing Committee, IFC Gazipur, Delhi.
11. The Dy. Secretary, Law Department, Govt. of NCT of Delhi.
12. The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi
13. The Director, Directorate of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
14. All the Members of the concerned Marketing Committee through Secretary of the concerned Marketing Committee.
15. Guard file.

  
(SANJAY GOEL)  
DIRECTOR (AM)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग-IV में प्रकाशित किए जाने के लिए)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विकास विभाग)

कृषि विपणन निदेशालय

49, शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054.

दिनांक 29/12/2020

अधिसूचना

सं0-8 (9)/99/ डीएएम/एम आर/24)9 :- दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (1999 की अधिनियम सं0-07) की धारा 116 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सहर्ष दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) सामान्य नियम, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) ये नियम दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) सामान्य (संशोधन) नियम, 2020 कहलायेंगे ।

(2) ये दिल्ली गजट में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. नियम 6 का संशोधन:- दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) सामान्य नियम, 2000 के नियम 6, के उप नियम (1), में "एक हजार रुपये" शब्द के लिए "बैठक भत्ता" शब्द के पहले आने वाला और "भाग लेने के लिए" शब्द के बाद आने वाला शब्द "दो हजार रुपये" प्रतिस्थापित किया जायेगा अर्थात एक हजार रुपये के स्थान पर दो हजार रुपये होगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
के आदेश से,



( संजय गोयल )

निदेशक (कृषि विपणन)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

प्रतिलिपि निम्न को अग्रसारित :-

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.4, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव, मुख्य मंत्री, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 5 प्रधान सचिव (विकास), दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डरहिल रोड, दिल्ली।
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 8 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 9 उप-सचिव (सा.प्र.वि.), सामान्य प्रशासन विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए (दो प्रति)।
- 10 कृषि उत्पाद विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी गाजीपुर), मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, और पुष्प विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली।
- 11 उप-सचिव, विधि विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 12 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, दिल्ली सरकार, नई दिल्ली।
- 13 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 14 संबंधित विपणन समिति के सभी सदस्यों को सम्बन्धित विपणन समिति के सचिव के माध्यम से।
- 15 गार्ड फाईल।

*संजय गोयल*

( संजय गोयल )  
निदेशक (कृषि विपणन)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार